# निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड

उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत, अल्मोड़ा

दूरभाषः– 05966–220260 फैक्सः– 05966–221074

दूरभाष कार्यालयः– बागवानी मिशन, देहरादून 0135–2759799, 2759796

ई–मेलः– dirudyanhorti@gmail.com, missionhortiuk@gmail.com

पत्रांक 720 /पॉलीथीन बदलाव योजना/2018–19 दिनांकःदेहरादूनःजून...11....,2018

## पॉलीथीन शीट आपूर्ति हेतु मूल उत्पादक फर्मों/कम्पनियों के पंजीकरण हेतु विज्ञप्ति

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा ग्रीनहाउस (पॉलीहाउस) की पॉलीथीन बदलाव की योजना के अन्तर्गत पॉलीथीन शीट क्रय हेतु मूल उत्पादक फर्मों/कम्पनियों के विभाग में दरों एवं विशिष्टियों के पंजीकरण के लिये आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं। पॉलीथीन शीट विभाग द्वारा कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर वितरण किया जायेगा। पॉलीथीन शीट की विशिष्टियां (Specification) National Committee on Plasticulture Applications in Horticulture (NCPAH), Department of Agriculture & Cooperation, Farmers Welfare, Government of India, New Delhi द्वारा जारी Greenhouse a Reference Manual द्वारा निर्धारित निम्न विवरणानुसार होनी आवश्यक हैः–

"UV stabilized 200 micron transparent Plastics films conforming Indian Standards (IS 15827: 2009), multilayered, anti drip, anti fog, anti sulphur, diffused, clear and having minimum 85 % level of light transmittance"

अतः उक्त गुणवत्ता की पॉलीथीन शीट की दरें, विशिष्टियां निर्धारित प्रारूप में दिनांक 04.07.2018 को सांय 05:00 बजे तक कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में आमन्त्रित की जाती है।

पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप एवं शर्तें बागवानी मिशन की वेबसाईट www.shm.uk.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। वेबसाईट से डाउनलोड प्रारूप को जमा करने हेतु रू0 2360/– (रूपये दो हजार तीन सौ साठ मात्र GST सहित) का बैंक ड्राफ्ट जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का हो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत, अल्मोडा के नाम रानीखेत शाखा में देय हो, संलग्न करना होगा।

(आर0सी0 श्रीवास्तव)
निदेशक, उद्यान

# निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड

उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत, अल्मोड़ा

दूरभाषः– 05966–220260 फैक्सः– 05966–221074

दूरभाष कार्यालयः– बागवानी मिशन, देहरादून 0135–2759799, 2759796

ई–मेलः– dirudyanhorti@gmail.com, missionhortiuk@gmail.com

## पॉलीथीन शीट आपूर्ति हेतु मूल उत्पादक फर्मों/कम्पनियों के पंजीकरण हेतु शर्तें

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा ग्रीनहाउस (पॉलीहाउस) की पॉलीथीन बदलाव की योजना के अन्तर्गत पॉलीथीन शीट क्रय हेतु मूल उत्पादक फर्मों/कम्पनियों के विभाग में दरों एवं विशिष्टियों के पंजीकरण के लिये आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं। पॉलीथीन शीट विभाग द्वारा कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर वितरण किया जायेगा। पंजीकरण हेतु शर्तें निम्न प्रकार हैं:–

1. पॉलीथीन शीट की विशिष्टियां (Specification) National Committee on Plasticulture Applications in Horticulture (NCPAH), Department of Agriculture & Cooperation, Farmers Welfare, Government of India, New Delhi द्वारा जारी Greenhouse a Reference Manual द्वारा निर्धारित निम्न विवरणानुसार होनी आवश्यक है:–

   "UV stabilized 200 micron transparent Plastics films conforming Indian Standards (IS 15827: 2009), multilayered, anti drip, anti fog, anti sulphur, diffused, clear and having minimum 85 % level of light transmittance"
2. पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप तथा शर्तें बागवानी मिशन की वेबसाईट www.shm.uk.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड किये गये प्रारूप को जमा करते समय रू0 2360/– (रूपये दो हजार तीन सौ साठ मात्र GST सहित) का बैंक ड्राफ्ट राष्ट्रीयकृत बैंक का हो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत, अल्मोडा के नाम रानीखेत शाखा में देय हो, संलग्न करना होगा।
3. आवेदन प्रपत्र बन्द लिफाफे में जिसके ऊपर **"पॉलीथीन शीट आपूर्ति हेतु मूल उत्पादक फर्मों/कम्पनियों के पंजीकरण हेतु"** अंकित हो, **दिनांक 04.07.2018** को अपरान्ह 05:00 बजे तक कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून कार्यालय में जमा करना होगा।
4. पंजीकरण की वैधता तिथि दिनांक 31.03.2022 तक होगी। परन्तु फर्म/कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आवश्यक अभिलेखों की वैधता उक्त तिथि से पूर्व समाप्त होने की स्थिति में सम्बंधित नवीनीकृत अभिलेख ससमय विभाग को प्रस्तुत किए जाने होंगे। नवीनीकृत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने की दशा में सम्बन्धित फर्म/कम्पनी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा।
5. विभाग आवश्यकतानुसार पंजीकरण व्यवस्था को किसी भी समय नवीनीकरण अथवा समाप्त कर सकता है।
6. विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कृषक अपनी इच्छानुसार विभाग में पंजीकृत किसी भी फर्म/कम्पनी से पॉलीथीन शीट क्रय करने हेतु स्वतन्त्र होगा। कृषकों की सहमति पर बजट की उपलब्धता के अनुसार मुख्य/जिला उद्यान अधिकारियों द्वारा भी क्रय कर कास्तकारों को पॉलीथीन शीट का वितरण किया जा सकता है।
7. पॉलीथीन शीट की आपूर्ति समस्त जनपद मुख्यालयों पर समान दर से करनी होगी।

क्रमशः....2.....

8. शासनादेश संख्या 2064XVI-1/14/10(3)2014, दिनांक 12.12.2014 के अनुसार ग्रीनहाउस (पॉलीहाउस) की पॉलीथीन बदलाव की योजना के अन्तर्गत पॉलीथीन शीट से कास्तकारों को निम्नानुसार लाभान्वित किया जायेगाः–
    I. ग्रीन हाउस (पॉलीहाउस) हेतु अधिकतम 4000 वर्ग0 मी0 क्षेत्रफल हेतु पॉलीथीन शीट देने का प्राविधान है।
    II. पॉलीथीन शीट का निर्धारित मूल्य रू0 50.00 प्रति वर्ग मी0 की दर से कुल पॉलीथीन शीट के मूल्य का 75 प्रतिशत या अधिकतम रू0 37.50 प्रति वर्ग मी0 की दर से राजसहायता समस्त वर्ग के कृषकों को प्रदान करने का प्रविधान है।
    III. ग्रीन हाउस (पॉलीहाउस) स्थापना के 05 वर्ष बाद तथा एक ही बार लाभ देने का प्राविधान है।
    IV. समस्त योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित ग्रीनहाउस (पॉलीहाउस) के लिये पॉलीथीन शीट पर राजसहायता प्रदान करने का प्राविधान है।
    V. पॉलीथीन शीट पंजीकृत आपूर्तिकर्ता से प्राप्त करने का प्राविधान है।
9. यदि कृषक स्वयं पंजीकृत फर्म/कम्पनी से पॉलीथीन शीट क्रय करता है तो उसके पॉलीहाउस में लगाई गई नई पॉलीथीन शीट का भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त बिल/बाउचर प्राप्त होने पर नियमानुसार राजसहायता का भुगतान सम्बन्धित कृषक के बैंक खाते में RTGS के द्वारा किया जायेगा।
10. भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड राज्य द्वारा यदि टैक्स/ड्यूटिज आदि प्रदत्त सुविधा में कोई कटौती अथवा बढ़ोतरी/परिवर्तन किया जाता है तो पंजीकृत फर्म के स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह इसकी सूचना निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत, अल्मोडा को तत्काल उपलब्ध करायेगें।
11. आवश्यक होने पर पॉलीथीन शीट की Quality Assurance हेतु CIPET (Central Institute of Plastics Engineering and Technology (India) से परीक्षण कराया जा सकता है।
12. पंजीकरण हेतु प्राप्त लिफाफे को विभाग द्वारा गठित समिति के सम्मुख **दिनांक 05.07.2018** को अपरान्ह 02:00 बजे खोला जायेगा।
13. पंजीकरण की अवधि के दौरान यदि फर्म/कम्पनियों द्वारा विक्रय किए गए पॉलीथीन शीट की गुणवत्ता के सम्बन्ध में शिकायत मिलने पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

## आवश्यक अभिलेखः

1. पॉलीथीन शीट के दो वर्ग मीटर का टुकडा नमूने के तौर पर निःशुल्क संलग्न करना होगा।
2. रू0 2360.00 का विभागीय डिमान्ड ड्राफ्ट, जो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत, अल्मोडा के नाम बना हो तथा रानीखेत में देय हो, संलग्न करना होगा।
3. पंजीकरण हेतु रू0 1.00 लाख की बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद (FDR), जो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत, अल्मोडा के नाम बन्धक हो उपलब्ध करानी होगी, जिसकी वैद्यता तिथि दिनांक 31.03.2022 तक होनी अनिवार्य है।
4. फर्म/कम्पनी का कार्यालय अथवा डीलर के उत्तराखण्ड राज्य में स्थित होने का प्रमाण संलग्न करना होगा।
5. फर्म/कम्पनी द्वारा पॉलीथीन शीट का आयात विदेशों से किया जाता है तो Certificate of Importer – Exporter Code (IEC) का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

*क्रमशः....3.....*

6. देश से बाहर की फर्म/कम्पनी होने पर उनकी देश में Authorized Dealership का प्रमाण संलग्न करना होगा।
7. पॉलीथीन शीट की आपूर्ति के पश्चात् कम से कम 03 वर्ष तक की गारन्टी/वारन्टी प्रदान करने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
8. फर्म/कम्पनी द्वारा अपने तथा अपने समस्त डीलरों के GST एवं पैन नम्बर की छाया प्रति संलग्न करनी होगी।
9. फर्म/कम्पनी को ISO प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
10. फर्म/कम्पनी का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम रू0 5.00 करोड़ होना आवश्यक है, जिसके साक्ष्य संलग्न करने होगें।
11. फर्म/कम्पनी का वाणिज्य कर विभाग में पंजीकरण के प्रमाण की छाया प्रति संलग्न करनी होगी।
12. फर्म/कम्पनी को रू0 100.00 के नोटेराईज्ड स्टाम्प पेपर पर शपथ पूर्वक अवगत कराना होगा कि पंजीकरण हेतु दी जा रही दरों से कम दरों पर फर्म/कम्पनी द्वारा किसी अन्य राज्य/विभाग/संस्था को पॉलीथीन शीट की आपूर्ति नहीं की जा रही है।

निदेशक, उद्यान

# निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड

उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत, अल्मोड़ा
दूरभाषः– 05966–220260 फैक्सः– 05966–221074
दूरभाष कार्यालयः– बागवानी मिशन, देहरादून 0135–2759799, 2759796
ई–मेलः– dirudyanhorti@gmail.com, missionhortiuk@gmail.com

## पॉलीथीन शीट की दरें प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

डिमान्ड ड्राफ्ट संख्या .................... धनराशि .................. दिनांक ......................

| Sl. No. | Name and address of Manufacturing firm/company | specification of Polysheet | Rate per sqm with all texas | Name and address of Dealer in Uttarakhand | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

फर्म / कम्पनी का नाम.........................................

फर्म / कम्पनी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर................................

फर्म / कम्पनी के प्रतिनिधि का नाम...................................

फर्म / कम्पनी की मुहर........................................